भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3553
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

ओडिशा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय

3553. श्री प्रदीप पुरोहित :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा के बरगढ़ जिले के सोहेला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि सोहेला में वादियों और अधिवक्ताओं को नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2024 के तहत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सोहेला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के बाद व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार पदमपुर की 52 किलोमीटर की यात्रा को आसान बनाने के लिए सोहेला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना में तेजी लाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो न्यायालय की स्थापना की समय-सीमा क्या है ; और

(ङ) सोहेला में न्याय शीघ्र प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश को लागू करने हेतु वित्तीय और प्रशासनिक उपायों की योजना का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोहेला, बरगढ़ जिला, ओडिशा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव माननीय न्यायालय के सक्रिय विचाराधीन है। एक व्यवहार्यता मूल्यांकन किया गया है, जो बताता है कि पिछले तीन वर्षों के मामलों की औसत संख्या उक्त प्रस्ताव को उचित ठहराती है ।हालाँकि, सोहेला में प्रस्तावित न्यायालय के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा सुविधा की आवश्यकता वर्तमान में उपलब्ध नहीं बताई गई है।

हालांकि, सरकार न्यायालयों की कार्यकुशलता में सुधार लाने और न्याय तक बेहतर पहुंच की सुविधा के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रदेश सरकारों के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त योजना के तहत, 1993-94 से अब तक ओडिशा राज्य सरकार को 256.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 45.33 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज्य को आगे की राशि, योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों और चल रही तथा आगामी परियोजनाओं की मांग के अनुसार, जारी की जाएगी।

****